

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:-ई-20/म.स्वा.का/ई 253/अध्य.अव./झुझुनू /2023/ 585 दिनांक- 25/8/23

आदेश

श्रीमती सुशीला ,म.स्वा.का पीएचसी मणकसास, अधिन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदयपुरवाटी, झुझुनू जी.एन.एम प्रशिक्षण सत्र 2022-23 में अध्ययनरत है, का राजस्थान सेवा नियम 110-112 के अन्तर्गत निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

| क्र. सं. | दिनांक से | दिनांक से | अवधि दिवस | अवकाश विवरण |
|----------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 1 | 07.01.2023 | 06.01.2025 | 02 वर्ष | अध्ययन अवकाश |
| 2 | 07.01.2025 | 26.04.2025 | 110 दिवस | उपार्जित अवकाश |
| 3 | 27.04.2025 | 06.05.2025 | 10 दिवस | अद्वैतनिक अवकाश |
| 4 | 07.05.2025 | 06.01.2026 | 245 | असाधारण अवकाश |

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-20/म.स्वा.का/ई 253/अध्य.अव./झुझुनू /2023/ 585 दिनांक- 25/8/23
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) मुख्यालय ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुझुनू को उनके पत्र क्रमांक 547 दिनांक 11.05.2023 के क्रम में ।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदयपुरवाटी झुझुनू ।
4. संबंधित प्रधानाचार्य नर्सिंग कॉलेज ।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली ।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर